



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 09.06.2025

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 14 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.06.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 14 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नगीना	रईस पुत्र नफीस निवासी ग्राम तौफीकवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
2	नगीना	नफीस पुत्र शमशुद्दीन निवासी ग्राम तौफीकवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
3	नगीना	मुकुल पुत्र छोटे निवासी ग्राम धर्मशानंगली थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
4	नगीना	मलखान पुत्र गंभीर सिंह निवासी ग्राम महेबपुर चोख नंगली थाना नगीना बिजनौर ।
5	नगीना देहात	अल्ताफ पुत्र बुन्दू नि० ग्राम चौहडपुर नानू थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
6	नगीना देहात	अहसान पुत्र अलीशेर नि० ग्राम झक्काकी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
7	नगीना देहात	अलीशेर पुत्र बुन्दू नि० ग्राम झक्काकी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
8	नगीना देहात	सुरेश उर्फ सुरेशचन्द्र निवासी ग्राम रानी कोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
9	नगीना देहात	अली कम्बर पुत्र रियाज निवासी ग्राम जोगिरम्पुरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
10	नगीना देहात	मस्ता उर्फ सुरेश पुत्र शिब्बा नि० ग्राम नेकपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
11	नगीना देहात	मलखान सिंह पुत्र टीकम सिंह नि० ग्राम नेकपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
12	नहतौर	धूम सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम किशनपुर भोगन थाना नहतौर जनपद बिजनौर
13	अफजलगढ	घासीराम पुत्र हरि सिंह नि० ग्राम मौहम्मदपुर राजौरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
14	अफजलगढ	रमेश चौहान पुत्र बाबू सिंह नि० ग्राम शेरगढ थाना अफजलगढ जिला बिजनौर







जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना किरतपुर

दिनांक 09.06.2025

थाना किरतपुर पुलिस मु0अ0सं0 151/2025 धारा

190/191(2)/191(3)/109(1)/110/61(2)/351(2)/352/115(2)/118(1) बीएनएस में
वांछित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.06.2025 को वादिया संगीता पत्नी संजीव कुमार निवासी निवासी गाँव लछीरामपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 07.06.2025 की रात्री लगभग 09 बजे वादिया अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी तभी मोटरसाइकिल से आकर अभियुक्तगण 1. चीकू उर्फ रंजीत कुमार पुत्र कामेन्द्र सिंह 2. शनि पुत्र कामेन्द्र सिंह 3 गौरव पुत्र कामेन्द्र सिंह 4.आर्यन पुत्र कामेन्द्र सिंह 5. कामेन्द्र सिंह पुत्र भगवंत सिंह 6.गोलू पुत्र नामलूम निवासीगण ग्राम नारायणपुर कलेहेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व 7. सोनम पत्नी घनश्याम निवासी ग्राम लछीरामपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के पति संजीव के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की नियत से सरिया/पाटल से वार किए, व संजीव को बचाने आए उसके माता पिता के साथ भी मारपीट की, जिससे संजीव व उसके माता- पिता घायल हो गए । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 151/2025 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/110/61(2)/351(2)/352/115(2)/118(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. चीकू उर्फ रंजीत कुमार पुत्र कामेन्द्र सिंह 2. शनि पुत्र कामेन्द्र सिंह 3. गौरव पुत्र कामेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम नारायणपुर कलेहेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व 4. गोलू उर्फ अभिषेक पुत्र निवासी गाँव छजीपुरा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. चीकू उर्फ रंजीत कुमार पुत्र कामेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नारायणपुर कलेहेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. शनि पुत्र कामेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नारायणपुर कलेहेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. गौरव पुत्र कामेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नारायणपुर कलेहेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. गोलू उर्फ अभिषेक पुत्र सुभाष निवासी गाँव छजीपुरा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. थाना प्रभारी वीरेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 रोबिन कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

- 3.मुख्य आरक्षी 531 जितेश थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 4.आरक्षी 2081 राहुल सैनी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 5.आरक्षी 1947 सोनू सहगल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 6.आरक्षी 1734 बिटटू थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना हीमपुर दीपा

दिनांक 09.06.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 71/25 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज अधि0 में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 02.06.2025 वादी वादी श्री सलमान पुत्र अल्लादिया निवासी ग्राम मुजाहिदा पट्टी भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. वासिफ पुत्र रहमत(पति) 2. अफसाना पत्नी रहमत (सास) 3. रहमत पुत्र इनायत (ससुर) 4. आदिल पुत्र रहमत (देवर) 5. इल्मा पुत्री रहमत (ननद) निवासीगण ग्राम नाईपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा वादी की बहन सलमाना से दहेज में 05 लाख रुपये की मांग की जाती थी तथा मांग पूरी ना होने पर अभियुक्तगण उसे प्रताड़ित कर मारपीट करते थे और उसकी फांसी लगाकर मृत्यु कर दी। तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 71/25 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज अधि0 पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 09.06.2025 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 71/25 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज अधि0 में वांछित अभियुक्तगण 1. वासिफ पुत्र रहमत 2. रहमत पुत्र इनायत निवासीगण ग्राम नाईपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

1. वासिफ पुत्र रहमत निवासी ग्राम नाईपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. रहमत पुत्र इनायत निवासी ग्राम नाईपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रहमत उपरोक्त —

- 1— मु0अ0सं0 71/25 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज अधि0 थाना हीमपुर
- 2— मु0अ0सं0 101/19 धारा 307/323/326ए/34/452/504/506 भादवि व 7 गुंडा अधि0 थाना हीमपुर दीपा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 श्री जगत सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 668 अमित वर्मा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

3.हे0का0 631 सचिन पंवार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

4.का0 2521 सचिन सार्थक थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना शिवालाकलां

दिनांक 09.06.2025

थाना शिवालाकलां पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 80 / 25 धारा 109(1) / 351(3) / 352 / 3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 07.06.2025 वादी श्री सन्दीप कुमार सैनी पुत्र हरज्ञान सिंह ने थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी कि 1. वीर सिंह पुत्र तन्नू सिंह 2. राजवीर सिंह पुत्र तन्नू सिंह 3. खेम सिंह पुत्र तन्नू सिंह नि0गण ग्राम आराजी भैंसा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर द्वारा वादी के भाई कुलदीप सैनी के साथ मारपीट व गाली-गलौच करते हुए एक राय होकर जान से मारने की नियत से कुलदीप के ऊपर पर कसले से वार किया, जिससे वादी के भाई को चोटे आयी व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 80 / 25 धारा 109(1), 351(3), 352, 3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 09.06.2025 को थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 80 / 25 धारा 109(1), 351(3), 352, 3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त राजवीर सिंह पुत्र तन्नू सिंह निवासी ग्राम आराजी भैंसा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

नोट— दिनांक 08.06.2025 को थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा अभियुक्त वीर सिंह पुत्र तन्नू सिंह निवासी ग्राम अराजी भैंसा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. राजवीर सिंह पुत्र तन्नू सिंह निवासी ग्राम आराजी भैंसा थाना शिवालाकलां बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त वीर सिंह उपरोक्त —

1— मु0अ0सं0 80 / 25 धारा 109(1), 351(3), 352, 3(5) बीएनएस थाना शिवालाकलां बिजनौर

2— मु0अ0सं0 36 / 25 धारा 115(2), 352, 351(2) बीएनएस थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

3— मु0अ0सं0 226 / 20 धारा 323, 324, 504 भादवि थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 श्री मुकेश राजौरा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

2. मुख्य आरक्षी 425 सचिन राठी थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

3. मुख्य आरक्षी 693 राहुल थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।